

208/25- करनलिट / मरव

20/5/26 वकील वादी उप०। वकील वादी के द्वारा
अवगत कराया गया कि वादी अपने दावा को
आगे नहीं चलाना चाहता है। वकील वादी
द्वारा दावा NOT PLEAD किया गया। अतः
वादा वादी NOT PLEAD के आधार पर इसी
द्वारा पर त्वारिज किया जाता है। पत्रावली
के तलबुकार होकर दारिपल दफ्तर है।

Motion
Jain
20/5/26

Not Read
20/5/26